भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य

बनाम

भारतीय संघ और अन्य

02 फरवरी, 2018

[मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर0 एफ0 नरीमन]

बड़ी पीठ को संदर्भ – भारत संघ द्वारा जारी 7 जनवरी, 2016 की अधिसूचना को रद्द करने और रद्द करने के लिए दायर रिट याचिकाएं और प्रतिवादियों को नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई – जब रिट याचिकाएं लंबित थीं, 2017 अधिनियम पारित किया गया था – उक्त अधिनियम को रद्द करने के लिए प्रार्थनाओं को शामिल करने के लिए रिट याचिकाओं में संशोधन किया गया – निर्णय: रिट याचिकाओं में भारत के संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं और इस प्रकार, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है – 5 माननीय न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात प्रस्तुत किए जाएं – भारत का संविधान – सातवीं अनुसूची, सूची III, प्रविष्टि 17 और अनुच्छेद 14, 21, 29, 48, 51A (g) (h) – पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 – तत्व और सार का सिद्धांत।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज और अन्य (2014) 7 एससीसी 547: [2014] 6 एससीआर 646 – **संदर्भित।**

संदर्भित न्याय विधि

[2014] 6 एससीआर 646 संदर्भित पैरा 3

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र: रिट याचिका (सिविल) संख्या 23 वर्ष 2016.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 24/2016, रिट याचिका (सिविल) संख्या 25/2016, रिट याचिका (सिविल) संख्या 26/2016, रिट याचिका (सिविल) संख्या 27/2016, रिट याचिका (सिविल) संख्या 88/2016, रिट याचिका (सिविल) संख्या 1011/2017, रिट याचिका (सिविल) संख्या 1059/2017, एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 3528/2018, रिट याचिका (सिविल) संख्या 1193/2017, एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 3526–3527/2018, रिट याचिका (सिविल) संख्या 1188/2017.

उपस्थित पक्षों की ओर से के.के. वेणुगोपाल, ए.जी., सुश्री पिंकी आनंद, ए.एस.जी., सिद्धार्थ लूथरा, आनंद ग्रोवर, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वी. गिरी, शेखर नफाडे, ए शरण, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, श्री

सुब्रमण्यम प्रसाद, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, बलराज दीवान, सुश्री अंजलि शर्मा, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, सुश्री अपर्णा भट, मयंक सपरा, सुश्री जोशिता पाई, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री दृष्टि हरपलानी, आदित्य सिंगलानी, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, अजीत शर्मा, सुश्री श्रीनिधि राव, सुबोध एस पाटिल, सुश्री नित्या रामकृष्णन, शादान फरासत, सुश्री रुद्राक्षी देव, सुश्री भूमिका अग्रवाल, सुश्री सुमिता हजारिका, सुश्री भूमिका अग्रवाल, सुश्री इस्पिता बेहुरा, मानस गौड़, सचिन पाटिल, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सुश्री गौरी रसगोत्रा, सुमित अत्री, करण खन्ना, सुश्री निखिता शेनॉय, सुश्री निविका शंकर हेमंत आर्य, रवि गोपाल, सुश्री कीर्ति दुआ, रोहित भट्ट, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, आर नेदुमारन, गुरमीत सिंह मक्कड़, नरेश बख्शी, अर्पित राय, सीके शशि, श्रीमती गीता कोविलन, विष्णु शर्मा, एन राजारमन, सुश्री उमा प्रसूण, रवींद्र केशवराव अदसुरे, बिजन कुमार घोष, पी सोमा सुंदरम, वाई अरुणगिरि, मायिल सामी, के. मुतुहु गणेशा पांडियन, आनंद सेल्वम, ओमपाल शौकीन, अनिल कुमार मिश्रा–1, अमित आनंद तिवारी, सुश्री विशाखा, शाश्वत सिंह, प्रबू रामा सुब्रमण्यम, सबरीश सुब्रमण्यम, विलियम विनोथ कुमार, दीपक आनंद, एमवाई देशमुख, सी परमसिवम, वाई अरुणागिरी, राकेश के शर्मा, विनोद कन्ना, बी., ए. श्रीराम, अंकुर एस. कुलकर्णी, मेसर्स लेमैक्स लॉयर्स एंड कंपनी, एम. योगेश कन्ना, सुश्री मनीषा टी. करिया, सुश्री सौम्या, सुश्री निधि नागपाल, शशांक मंगल, अनुराग पांडे, उपस्थित पक्षों की ओर से सुश्री रीना पांडे, कुंवर रत्नेश रत्न, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री ममता सिंह, सुश्री शोधिका शर्मा, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री आकांक्षा चौधरी, सुश्री भावना दुहून, अभय अनिल अंतुरकर, सुश्री कल्याणी तुलंकर, डॉ आर आर देशपांडे, एडवोकेट मेसर्स अभय अंतुरकर एंड एसोसिएट्स अधिवक्तागण।

आवेदक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

आर. एफ. नरीमन, न्यायमूति 1. रिट याचिकाओं का वर्तमान समूह मूल रूप से 7 जनवरी, 2016 को भारत संघ द्वारा जारी एक अधिसूचना को रद्द करने और रद्द करने के लिए दायर किया गया था, और प्रतिवादियों को *भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य* (2014) 7 एससीसी 547 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए दायर किया गया था।

2. हालांकि, जब ये रिट याचिकाएं लंबित थीं, तब पशु क्रूरता रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017, जिसे 31 जनवरी, 2017 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, पारित किया गया। रिट याचिकाओं में संशोधन किया गया ताकि कई आधारों पर उपरोक्त तमिलनाडु संशोधन अधिनियम को रद्द करने की प्रार्थना शामिल की जा सके।

3. कुछ समय के लिए याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि इन रिट याचिकाओं को 5 विद्वान न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि रिट याचिकाओं में भारत के संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं। रिट याचिकाओं में उठाए गए अन्य प्रश्नों के अलावा, जिन प्रश्नों के लिए 5 विद्वान न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ की आवश्यकता होती है, वे नीचे दिए गए हैं:

(i.) क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 17, सूची III को संदर्भित करता है, या क्या यह जानवरों के प्रति क्रूरता को आगे बढ़ाता है; और इसलिए, क्या इसे जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम का एक उपाय कहा जा सकता है? क्या यह छद्म विधान है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 में किसी प्रविष्टि से संबंधित नहीं है?

(ii) तमिलनाडु संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि यह तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए है। क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम को तमिलनाडु राज्य के लोगों की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा कहा जा सकता है ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 का संरक्षण प्राप्त किया जा सके?

(iii.) क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, तत्वतः और सारतः बैलों की देशी नस्ल के अस्तित्व और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए है? क्या यह अधिनियम मूल रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 से संबंधित है?

(iv) क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 51ए (जी) और 51 ए (एच) के विपरीत है, और इसलिए, क्या इसे अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है?

(v) क्या तमिलनाडु संशोधन अधिनियम ए. नागराज (सुप्रा) के फैसले और उपरोक्त मामले में 16 नवंबर, 2016 के समीक्षा निर्णय के सीधे विपरीत है, और क्या उपरोक्त दो निर्णयों में बताई गई खामियों को तमिलनाडु विधानमंडल द्वारा लागू तमिलनाडु संशोधन अधिनियम को लागू करके दूर किया जा सकता है?

4. 5 माननीय न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखे जाएं।

दिव्या पांडे मामला पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित करने के लिए माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733